न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

दिनांक 03.03.2021

प्रकरण संख्या— 207 / 2018

उनवान

1. उंकारलाल पिता हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
2. उदयलाल पिता हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
3. श्यामलाल पिता हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
4. रूकमणी पुत्री हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
5. रामी बाई पुत्री हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
6. सोहनी बाई पत्नि हेमराज जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर

................वादीगण

।। बनाम ।।

1. नानूराम पिता श्री तुलसीराम जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
2. राम लाल पिता श्री तुलसीराम जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
3. श्रीमति केसर पत्नि श्री तुलसीराम जी जाति भोई उम्र वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,209 रा0 का0 अधि0 1955 बाबत बटवारा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:—

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके मौजा पंचदेवला पटवार हल्का होडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ में स्थित खाता संख्या – 49 में स्थित आराजी नम्बर – 721 रकबा 0.37 हेक्टर लगानी 1.48 रूप्ये आराजी नम्बर –723 रकबा 0.79 हेक्टर लगानी 9.48 रूपये, आराजी नम्बर–724 रकबा 0.14 हेक्टर लगानी 0.56 पैसे कुल किता –3 कुल रकबा 1.30 हेक्टर कुल लगानी 11.5 रूपये स्थित है उक्त आराजीयात में वादीगण के ख[illegible] होकर बिना किसी विवाद के अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है [illegible] उपरोक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से निहित होकर अपने हक हिस्से पर वर्तमान में भी काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहे है। लेकिन रकबे कमी पेशी को लेकर आये दिन प्रतिवादीगण आगे पीछे, आगे पीछे करते रहते है। जिस पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10/4/019

(24)

(131)

सरवर्क

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

...	...	तारीख	तादाद	नम्बर दाखिल

रेकार्डेड बंटवारा करवाने पर सहमत नही हुए वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा विभाजन से अलग कर अलग खातेदारी में दर्ज कराया जाने हेतु वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बाद कार्यवाही दिनांक को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा पंचदेवला पटवार मण्डल होडा की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	लगान
1	उंकारलाल 1/6 उदयलाल 1/6 श्यामलाल 1/6 रूकमणी 1/6 रामीबाई 1/6 पि0 हेमराज सोहनी पत्नी हेमराज 1/6 सा0देह	721 मी. 723 मी. 724 मी.	0.20 0.38 0.07	0.8. 4.56 0.28
	योग	किता—3	0.65	5.64
2	नानूराम 1/3 रामलाल 1/3 पि0 तुलसीराम केसर पत्नि तुलसीराम भोई सा0देह	721/1 723/1 724/1	0.17 0.41 0.07	0.68 4.92 0.28
	योग	किता—3	0.65	5.88

उपरोक्तानूसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे । खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:39:20 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner